सं० 1454-ग्रा० पं०

बिहार सरकार

योजना एवं विकास (ग्रामीण विकास) विभाग

पंचायती राज निदेशालय

प्रेषक

श्री वृजनन्दन सिंहा,
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार
एस० पी० वर्मा रोड, पटना।

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 1975

विषय—पंचायती राज निदेशालय के कुछ अस्थायी पदों का स्थायीकरण की घोषणा।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 1408, दिनांक 13 जून, 1974 के प्रसंग में यह कहना है कि पंचायती राज निदेशालय के निम्नलिखित पदों की स्वीकृति की अवधि 31 मार्च, 1971 तक तीन वर्षों से अधिक हो चुकी है और इन पदों के भविष्य में भी बने रहने की पूर्ण आशा है। जहां तक उच्चवर्गीय सहायकों के पदों के स्थायी करने का प्रश्न है इन पदों के स्थायीकरण से विभाग के संवर्ग में उच्चवर्गीय सहायकों के कुल स्थायी पदों की संख्या उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात में निम्नवर्गीय सहायकों के पदों की संख्या के आधार पर अभी उच्चवर्गीय सहायकों के पद के सृजन की व्यवस्था है। इस अनुपात के अनुसार पदों की संख्या निर्धारण में केवल स्थायी निम्नवर्गीय सहायकों की संख्या को ही आधार माना गया है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 1408, दिनांक 13 जून, 1974 के अनुदेशों के अधीन इन पदों को इस आदेश की तिथि से स्थायी घोषित किया जाता है।

क्रम सं०	पदों के नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उच्चवर्गीय सहायक ..	2	348—15—464—द० रो०—15—570
2	प्रधान अनुदेशक (मु०) ..	2	296—8—360—द० रो०—10—460
3	जीप चालक ..	1	220—4—240—द० रो०—5—290—5—315।

व्यय का वहन "314—सामुदायिक विकास-क-सामान्य निदेशन एवं प्रशासन-मुख्यालय [illegible] तापिक के अन्तर्गत होगा।

[illegible]

[illegible]

निदेशक-सह-[illegible]